

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022—आषाढ़ 31, शक 1944

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्र. एफ-15-52-2002-दस-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15-16-75-दस-2, दिनांक 21 मई 1981 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-15-22-99-दस-2, दिनांक 9 अप्रैल 1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, करैरा अभयारण्य के 202.21 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र को अभयारण्य बने रहने से प्रविरत करती है.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्र. एफ-15-52-2002-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-52-2002-दस-2, दिनांक 22 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal, the 22nd July 2022

No.F 15-52-2002-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and in supersession of this department's Notification No. 15-16-75-X-2, dated 21st May, 1981 and No. F-15-22-99-X-2, dated 9th April, 1999, the State Government, hereby, ceases to be the notified area 202.21 Sq. km. of the Karera Sanctuary from being a Sanctuary.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PADMAPRIYA BALAKRISHNAN, Secy.